

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

जयपुर, दिनांक

11/9/23

क्र.प. 3/III-A/निर्वा/सामा-2018/ 5087

प्रेषक :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

प्रेषिती :- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय :- विद्युत बिल एवं जल बिल के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्रांक 1218 दिनांक 31.03.2022, 1530 दिनांक 26.04.2022 एवं 3696 दिनांक 20.09.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के द्वारा जल एवं विद्युत बिलों का भुगतान बजट नियन्त्रण अधिकारी के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा विभागीय बजट मद 2015-00-102-01-01, 05-कार्यालय व्यय के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्रावधानों (समेकित Pool बजट) से आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

वित्त विभाग द्वारा जल एवं विद्युत व्यय के बिलों के भुगतान हेतु बजट मद 2015-निर्वाचन, 00-102-निर्वाचन अधिकारी, (01)-निर्वाचन विभाग, [01]-संस्थापन व्यय के अन्तर्गत उपमद 19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय खोला जाकर उपयुक्त बजट प्रावधान कर दिया गया है। अतः चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के विद्युत एवं जल व्यय के बिलों के भुगतान अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्षों के विद्युत एवं जल व्यय संबंधी लंबित दायित्वों की स्थिति में बजट स्वीकृति मुख्यालय से प्राप्त कर ही भुगतान किया जावे।

(प्रवीण गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
निर्वाचन विभाग

जयपुर, दिनांक :

क्र.प. 3/III-A/निर्वा/सामा/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी (मुख्यालय), निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त निर्वाचक/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO/AERO), राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार ही बिल संबंधित कोष कार्यालय को भिजवाये जावें।

वित्तीय सलाहकार
निर्वाचन विभाग
राजस्थान जयपुर।